न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 70/2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंट
तुलछसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपुत निवासी सोमाणियों की ढाणी,तहसील बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार,बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश 20.09.2017 बमुकदमा संख्या 175/2017 द्वारा तहसीलदार,बाड़मेर

उपस्थितः–1.श्री बांकाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2.श्री सोहन दवे राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय दिनांक 31.01.2018

1. अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार,बाड़मेर द्वारा प्रकरण संख्या 175/2017 में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2017 के विरूद्ध धारा 75 राजस्थन भू–राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जालीपा ने तहसीलदार,बाड़मेर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया कि अपीलांट–तुलछसिंह ने सम्वत् 2074 में मौजा सोमाणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 595/538 रकबा 04 बीघा किस्म गैर पहाड़ की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा व काश्त की है। इस पर तहसीलदार, बाड़मेर ने प्रकरण संख्या 175/17 दर्ज कर बाद,जॉच एंव सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2017 द्वारा अपीलांट को पश्चात्वृति अतिक्रमी घोषित करते हुए प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये, 10/–जुर्माना आरोपित किया एंव 45 दिवस की सिविल कारावास की सजा भुगताने के भी आदेश पारित किये। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील हमारे समक्ष पेश की है।
3. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को सम्मन किया एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की।
4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलाधीन आराजी खसरा नम्बर 595/538 मौजा सोमाणियो की ढाणी के सेढे पर अपीलांट की सह खातेदारी का खेत खसरा संख्या 696/519 आया हुआ है, जिस पर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलांट अपने सह खातेदार के साथ काबिज है। उसका अपनी स्वंय की खातेदारी भूमि में कब्जा काश्त है अपीलांट ने सरकारी भूमि पर काश्त नहीं की है। अव्रिकमण के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जॉच नहीं की केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण बताया है। अपीलांट को पश्चात्वृति अतिक्रमी घोषित करने के सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई दस्तावेजी सबूत प्रदर्शित नहीं हुए है विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का मौका पर कब्जा नहीं और न ही काश्त की है। अपीलांट ने अतिक्रमण हटा दिया है,जुर्माना की राशि अदा कर दी है। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ की जाए। इसके जवाब में राजकीय अभिभाषक का यह तर्क है कि अपीलांट ने सम्वत् 2073 में भी अतिक्रमण किया था और उसे बेदखल किया गया था। अपीलांट ने इस भूमि पर सम्वत् 2074 में पुनः अतिक्रमण किया है। अपीलांट पश्चात्वृति अतिक्रमी है। अपीलांट की अतिक्रमण करने की प्रवृति को छुड़ाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, वह सही है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाए।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली एंव तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पटवारी हल्का जालीपा की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा मौजा सोमाणियो की ढाणी के खसरा नम्बर 595/538 रकबा 04 बीघा किस्म गैर मुमकिन पहाड की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करने पर अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर, अपीलांट को सुनवाई हेतु पेशी तारीख 20.09.2017 का नोटिस जारी किया गया,जो अपीलांट स्वम् द्वारा तामिल किया गया है। अपीलांट पेशी तारीख पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयान अनुसार अपीलांट द्वारा इस भूमि पर सम्वत् 2073 में भी अतिक्रमण किया गया था जिस पर मुकदमा संख्या 385/16 दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 21.10.16 द्वारा अतिक्रमी घोषित कर प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने एंव जुर्माना आरोपित करने के आदेश दिये थे जिस पर अपीलांट को भौतिक रूप से बेदखली की कार्यवाही की जाकर कब्जा बहक सरकर प्राप्त किया है, जिसकी बेदखली एंव कब्जा प्राप्ति रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर मौजूद है। इससे प्रकट है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट पश्चात्वृति अतिक्रमी है। अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हैं कि अपीलांट द्वारा दुबारा अतिक्रमण किया है। धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के अनुसार कोई व्यक्ति जिसने भूमि पर बिना किसी विधि संगत (**unlawful**) प्राधिकार के अधिवास (occupation) कब्जा कर रखा हो या अधिवास रखता चला आ रहा है तो उसे अतिक्रमणकारी समझा जावेगा। अपीलांट ने राजकीय भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के कब्जा करने के फलस्वरूप

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बेदखल करने,जुर्माना आरोपित करने एंव सिविल कारावास भुगताने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह सही एंव न्यायोचित है। इस स्टेज पर अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट ने जुर्माना की राशि अदा कर दी है व अतिक्रमित भूमि से कब्जा हटा दिया है। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ की जाएं। इस सम्बन्ध में तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलांट तुलछसिंह द्वारा अतिक्रमित भूमि 04 बीघा से अपना अतिक्रमण हटवा कर उक्त भूमि से कब्जा छोड़ दिया है। चूँकि अपीलांट ने भूमि पर कब्जा छोड़ दिया है। लिहाजा अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुए, सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner